

## अध्याय ११

## जल-सम्भरण (Water Supply)

ख. [निगम] के जल कल (Water work) का निर्माण तथा संधारण

२६३-जलकलों के निर्माण, संचालन अथवा बन्द करने के संबंध में [निगम] के अधिकार-नगर में सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजनों के लिए अच्छे तथा पर्याप्त जल के सम्भरण की व्यवस्था करने के हेतु मुख्य नगराधिकारी इस अधिनियम के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, नगर के भीतर या बाहर जलकलों का निर्माण, संधारण, मरम्मत, परिवर्तन, विकास और विस्तार कर सकता है अथवा ऐसे किसी जलकल को बन्द कर सकता है और उसके स्थान पर इसी प्रकार के अन्य कल स्थापित कर सकता है तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे सम्पूर्ण कार्य कर सकता है जो प्रासंगिक (incidental) अथवा आवश्यक हों, जिसमें विशेष रूप से-

(१) किसी सड़क अथवा स्नान के बीच, आर-पार, ऊपर या नीचे तथा किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी या अध्यासी को लिखत रूप से समुचित नोटिस देने के बाद उस भवन अथवा भूमि में, उससे होकर तथा उसके ऊपर या नीचे उक्त कलों (works) का ले जाना ;

(२) <sup>१</sup>[निगम] की सीमाओं के भीतर या बाहर किसी प्रकार के जल कल को अथवा जल संचय करने, उसे ले जाने या स्थानान्तरित करने (to store, to take or convey) के अधिकारों को क्रय करना या पट्टे पर लेना सम्मिलित है।

२६४. जलकलों का निरीक्षण-(१) राज्य सरकार धारा २६३ में निर्दिष्ट किसी जलकल या जल-संबंध (water connection) के निरीक्षण के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है और ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के किसी जल-संबंध अथवा जलकल से सम्बद्ध भूमि में प्रवेश या उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(२) मुख्य नगराधिकारी अथवा उपधारा (१) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, किसी जलकल या जल-संबंध में, उस पर या उसके संबंध में निरीक्षण, मरम्मत या किसी निर्माण-कार्य के संपादन के प्रयोजन से समस्त उचित समयों में-

(क) नगर के भीतर या बाहर किसी ऐसी भूमि में, चाहे किसी में भी निहित क्यों न हो, प्रवेश कर सकता है अथवा उससे होकर गुजर सकता है जो इस प्रकार के जलकल या जल-संबंध (water-connection) से मिली हुई हो या उनके निकट हो ;

(ख) उक्त किसी भूमि पर और उससे होकर समस्त आवश्यक व्यक्तियों, सामग्रियों (materials), औजारों तथा उपकरणों (tools and implements) को ले जाने की व्यवस्था कर सकता है।

(३) इस धारा द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का प्रयोग करने में कम से कम क्षति पहुँचायी जायगी। उक्त अधिकारों में से किसी के प्रयोग करने में यदि कोई क्षति पहुँचे तो उसकी पूर्ति <sup>१</sup>[निगम] की निधियों में से की जायगी।

(४) यदि उपधारा (१) के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया हो, वह यथाशक्यशीघ्र मुख्य नगराधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और मुख्य नगराधिकारी अविलम्ब उसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा। तत्पश्चात् कार्यकारिणी समिति उसे अपनी टिप्पणियों सहित राज्य सरकार के पास भेज देगी।

(५) राज्य सरकार कार्यकारिणी समिति की रिपोर्ट टिप्पणियों सहित, यदि कोई हों, प्राप्त होने पर उस पर विचार करेगी और <sup>ख</sup> [निगम] उक्त प्रयोजन के लिए निधि प्राप्य होने पर राज्य सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये बाध्य होगा।

२६५. <sup>१</sup>[निगम] द्वारा आग बम्बों (Fire hydrants) की व्यवस्था—आग लग जाने पर उससे बचाव के लिए जल-सम्भरण के निमित्त तथा सम्पूर्ण प्रासंगिक (incidental) कार्यों के लिए मुख्य नगराधिकारी ऐसे समस्त स्थानों पर, जिन्हें आवश्यक समझा जायगा, आग बम्बों (fire hydrants) की व्यवस्था, संधारण तथा मरम्मत करेगा।

२६६. जल-प्रणाल (water mains), आदि को ले जाने का अधिकार—(१) नगर के भीतर या उसके बाहर जल प्रणाल (water main), पाइप और प्रणाली (ducts) ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के प्रयोजनों के लिए मुख्य नगराधिकारी को वही अधिकार प्राप्त होंगे, और वह उन्हीं प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा, जो उसे नगर के भीतर नालियाँ ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में पहले दिये हुए उपबन्धों के अधीन प्राप्य हैं और जिनके वह अधीन है।

(२) यह धारा निजी (private) जल-प्रणाल, पाइप तथा प्रणाली (ducts) के ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगी जैसे वह <sup>१</sup>[निगम] जल प्रणाल, पाइप और प्रणाली (ducts) के ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में लागू होती है।

२६७. <sup>१</sup>[निगम] के जलकलों पर प्रभाव डालने वाले कुछ कार्यों का प्रतिषेध—(१) मुख्य नगराधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कोई व्यक्ति किसी भवन, दीवाल या किसी प्रकार के ढाँचे (structure) का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण (erect or re-erect) न करेगा अथवा किसी <sup>१</sup>[निगम] जल-प्रणाल के ऊपर कोई सड़क अथवा छोटी रेलवे का निर्माण न करेगा।

(२) <sup>१</sup>[निगम] की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति—

- (क) उक्त क्षेत्र के किसी ऐसे भाग में किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भवन का निर्माण न करेगा, जो किसी झील, तालाब, कुआँ, जलाशय या नदी के निकट, जहाँ से <sup>१</sup>[निगम] के जलकलों के लिए पानी लिया जाता हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा सीमांकित कर दिया जायगा;
- (ख) उपर्युक्त क्षेत्र के सीमांकन निर्माण-कार्य (demarkation work) को न हटायेगा, न परिवर्तित करेगा, न उन्हें हानि या क्षति पहुँचाएगा और न उनमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करेगा ;
- (ग) किसी ऐसे भवन को, जो उपर्युक्त क्षेत्र में पहले से स्थित हो, न विस्तार करेगा, न उसमें परिवर्तन करेगा और न उसे किसी ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करेगा जो उस प्रयोजन के लिए भिन्न हो, जिसके लिए वह अभी तक प्रयुक्त होता रहा हो ; या
- (घ) उपर्युक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार से वस्तु-निर्माण (manufacture), व्यापार या कृषि का कोई कार्य नहीं करेगा और न कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे ऐसी किसी झील, तालाब, कुएँ, जलाशय या नदी या उनके किसी भाग को हानि पहुँचे या जिससे ऐसी झील, तालाब, कुआँ, जलाशय या नदी का पानी कलुषित (fouled) या कम स्वास्थ्यप्रद हो जाय (rendered less wholesome)।

(३) उस दशा को छोड़कर जिसकी आगे व्यवस्था की गई है, कोई भी व्यक्ति—

- (क) किसी <sup>१</sup>[निगम] जल-कल में अथवा उस पर न तो कोई पदार्थ गिरवायेगा (percolate) अथवा बहवायेगा (drain) और न ऐसा होने देगा अथवा उसमें या उस पर, न कोई ऐसी चीज ही डलवायेगा अथवा कोई ऐसा कार्य ही करवायेगा, जिससे उसका पानी किसी प्रकार कलुषित (Fouled) अथवा दूषित (polluted) हो जाय, अथवा उसके गुण में कोई परिवर्तन आ जाय ;

- (ख) <sup>खंड</sup>[निगम] की किसी ऐसी भूमि को, जो उक्त जल-कल से मिली हुई हो या उसके किसी भाग के रूप में, खोदकर या उस पर कोई वस्तु जमा (deposit) करके उसके धरातल में कोई परिवर्तन न करेगा ;
- (ग) उक्त जल-कल के पानी में किसी पशु का प्रवेश न करायेगा और न करने देगा ;
- (घ) उक्त जल-कल के पानी में या उसके ऊपर न तो कोई वस्तु फेंकेगा और न रखेगा ; या
- (ङ) उक्त जल-कल में या उसके निकट स्नान नहीं करेगा ; या
- (च) उक्त जल-कल में या उसके निकट किसी पशु या वस्तु को न तो धोयेगा और धुलवायेगा।

२६८. धारा २६७ का उल्लंघन करके किये जाने वाले कार्यों के विरुद्ध कार्यवाही तथा जल-सम्भरण के किसी स्रोत (source) के निकट शौचालयों, आदि का हटवाया जाना—(१) यदि धारा २७६ की उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई भवन, दीवाल या ढाँचा (structure) निर्मित या पुनर्निर्मित किया जाय अथवा यदि धारा २६७ की उपधारा (२) के खंड (क) का उल्लंघन करके कोई भवन निर्मित किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से, उसे हटवा सकता है अथवा उसके सम्बन्ध में अन्य ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह उचित समझे और ऐसा करने में जो व्यय होगा, वह दोषी व्यक्ति (person offending) द्वारा वहन किया जायगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति धारा २६७ की उपधारा (२) के खंड (ख), (ग) और (घ) के उपबन्धों का बार-बार उल्लंघन करे तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से पूर्वोक्त खंडों के उपबन्धों का और आगे उल्लंघन रोकने के लिए कार्यवाही कर सकता है जिसमें ऐसा न्यूनतम बल-प्रयोग भी, जो आवश्यक हो, सम्मिलित है।

(३) मुख्य नगराधिकारी नोटिस द्वारा किसी स्वामी या अध्यासी (occupier) को, जिसकी भूमि पर कोई नाली, संडास (privy), शौचालय, मूत्रालय, मलकूप (cesspool) अथवा कूड़ा-करकट या मैला रखने का कोई पात्र, किसी स्रोत (spring), कुएँ, तालाब, जलाशय, नदी या किसी अन्य स्रोत (source) से, जहाँ से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए पानी लाया जाता हो या लिया जाता हो, ५० फीट के अन्दर हो, उस नोटिस के तामील होने से एक सप्ताह के भीतर उसे हटाने तथा बन्द करने के आदेश दे सकता है और यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त व्यक्ति आदेशानुसार कार्य नहीं करता तो मुख्य नगराधिकारी उसे हटवा अथवा बन्द करवा देगा और ऐसा करने में जो व्यय होगा, वह दोषी व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा।

२६९. जल-कर लगाने वाली <sup>१</sup>[निगम] का आभार (obligation)—यदि किन्हीं भवनों या भूमि पर जल-कर (water-tax) लगाया जाता है तो मुख्य नगराधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे भवनों या भूमि के स्वामियों या अध्यासियों के लिए जल-सम्भरण की व्यवस्था ऐसी उस रीति से, ऐसे समय में और इतनी मात्रा में करे, जो नियमों द्वारा विहित की जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दुर्घटना (accident), असाधारण सूखा पड़ने के कारण अथवा अन्य किन्हीं अनिवार्य कारणों से <sup>१</sup>[निगम] जल का सम्भरण नहीं कर पाता तो वह एतदर्थ किसी प्रकार की जब्ती (forfeiture), दंड या क्षति का उत्तरदायी नहीं होगी।

२७०. जल के सकपट (fraudulent) तथा अनधिकृत प्रयोग का प्रतिषेध—(१) कोई भी व्यक्ति उसे <sup>१</sup>[निगम] द्वारा सम्भरित किसी प्रकार के जल का सकपट (fraudulently) निस्सारण नहीं करेगा।

(२) कोई व्यक्ति, जिसे <sup>१</sup>[निगम] द्वारा निजी काम के लिए जल सम्भरित किया गया हो ; सिवाय ऐसी स्थिति के जब जल के सम्भरण के लिए माप (measurement) के अनुसार शुल्क (charge) लिया जाय,

किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे भू-गृहादि में नहीं रहता, जिसके संबंध में जलकर दिया जाता हो, उस भू-गृहादि से जहाँ जल सम्भरित किया जाता है, जल ले जाने की अनुमति नहीं देगा।

(३) कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे भू-गृहादि में नहीं रहता, जिसके सम्बन्ध में जल-कर दिया जाता हो, किसी ऐसे भू-गृहादि से, जिसे <sup>ख</sup>[निगम] द्वारा निजी काम के लिए जल सम्भरित किया गया हो, तब तक जल नहीं ले जाएगा जब तक कि वह यदि जल सम्भरण का शुल्क माप के अनुसार दिया जाता हो, एतदर्थ उस व्यक्ति की अनुमति न ले ले, जिसे उक्त प्रकार से जल सम्भरित किया गया हो।

२७१. नियम बनाने का अधिकार—(१) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार के नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

- (१) <sup>१</sup>[निगम] की सीमाओं के भीतर किसी निजी जलमार्ग (private water course) आदि का संधारण, सफाई, कुशल संचालन (efficient running) तथा उसका बन्द किया जाना ;
- (२) किसी ऐसे कुएँ, तालाब या अन्य स्थानों से जहाँ से पीने के लिए जल लिया जा सकता हो, निरीक्षण तथा कीटाणुरहित (disinfecting) करने के निमित्त उपयुक्त कार्यवाहियों की व्यवस्था तथा ऐसी कार्यवाहियाँ जो उनसे पानी निकालने को रोकने के लिए आवश्यक समझी जायँ ;
- (३) <sup>१</sup>[निगम] की सीमाओं के भीतर भूमि या भवन के किसी स्वामी या अध्यासी को अनुबन्ध (agreement) द्वारा पानी का सम्भरण तथा एतदर्थ शर्तें और दरें ;
- (४) जल-सम्भरण के प्रयोजन ;
- (५) अन्य समस्त प्रयोजनों की अपेक्षा घरेलू प्रयोजनों के लिए जल-सम्भरण को प्राथमिकता (precedence) देना ;
- (६) पानी के मीटर तथा योजक पाइपों (connection pipes) का लगाना (installation);
- (७) मीटरों, पाइपों (pipes), बम्बों (standpipe), पंपों, पानी निकालने के बम्बों (hydrants) का आकार तथा प्रकार (size and nature) और वह रीति, जिससे वे सुचारु रूप से जल-सम्भरण करने के निमित्त लगाये जायेंगे, बनाये जायेंगे, नियंत्रित किये जायेंगे अथवा संधारित किये जायेंगे ;
- (८) प्रणाल (mains) या पाइप, जिनमें आग डट्टे (fire plug) लगाये जाने वाले हों और वे स्थान जहाँ इन आग डट्टों की कुजियाँ जमा की जायँ ;
- (९) <sup>१</sup>[निगम] द्वारा सम्भरित किये जाने वाले जल का किसी अर्ह (qualified) विश्लेषक द्वारा आवधिक विश्लेषण (analysis) ;
- (१०) <sup>१</sup>[निगम] की सीमाओं के भीतर या बाहर स्थित जल-सम्भरण के स्रोतों (sources) तथा साधनों और जल वितरण के उपकरणों (appliances) का संरक्षण (conservation) और उन्हें हानि पहुँचने अथवा दूषित होने (contamination) से बचाना ;
- (११) वह रीति जिससे जल-कलों से जल के संबंध (connections) लगाये जायेंगे या संधारित किये जायेंगे और वह अभिकरण (agency) जो उक्त निर्माण अथवा संधारण के लिए प्रयुक्त किया जायगा या किया जा सकता है ;

- (१२) जल-सम्भरण व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी मामलों का विनियम जिसमें टॉटी खोलना (turning on) या बन्द करना (turning off) और पानी नष्ट होने से बचना भी सम्मिलित है ; और
- (१३) [निगम] की सीमाओं के बाहर जल-सम्भरण की व्यवस्था करना और ऐसे सम्भरण से संबद्ध जल-करों तथा परिव्ययों (charges) की वसूली और करों को न देने (evasion of taxes) से संबद्ध मामलों की रोकथाम।
- 
- 

ख१. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख२. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख३. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा रखा गया

ख४. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित